न्यायालय अंचल अधिकारी, डुमरी

विविध वाद सं0–13/2023–24

श्री टेकोचन्द महतो वगैरह **बनाम** श्री कमल किशोर महतो वगैरह

की / थे	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी आदेश
2025	आवेदक श्री टेकोचन्द महतो, पिता–स्व0 दौलत महतो वगैरह, साकिन–कल्हाबार, पोस्ट–तेलखारा, थाना–डुमरी, जिला–गिरिडीह द्वारा द्वारा आवेदन समर्पित कर आवेदित किया गया हैं कि सर्वे खतियान के खाता सं0–07, प्लॉट सं0–368, 575, 641, 642 क्रमशः रकबा–1.48 एकड़, 2.54 एकड़, 35 डी0, 03डी0 कुल रकबा–4.40 एकड़ भूमि के सर्वे रैयत का नाम लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो एक हिस्सा बाहिस्सा बराबर वो बाढु महतो वल्द बेनी महतो वो मसो0 मनवा जौजे धरम महतो एक हिस्सा बाहिस्सा बराबर वो दशरथ महतो वो जानकी महतो पेशरान प्रीतम महतो एक हिस्सा बाहिस्सा बराबर वो मटुक महतो वो हीरामन महतो वो हरलाल महतो पेशरान खेमचन्द महतो एक हिस्सा बाहिस्सा बराबर दर्ज हैं। जबकि वर्त्तमान में ऑनलाईन पंजी–II पर केवल लटु महतो, तारो महतो, भुपत महतो, ठाकुर महतो पिता–अनुप महतो दर्ज हैं। अतः ऑनलाईन पंजी–II में शेष छुटे हुए व्यक्तियों का नाम दर्ज करने की कृपा की जाय। आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसमें राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि मौजा–कल्हाबार, थाना नं0–88 के निवासी टेकोचन्द महतो पिता–स्व0 दौलत महतो वगैरह के द्वारा आवेदित किया गया हैं कि खाता सं0–7 रैयति खाते की भूमि हैं। जो वर्त्तमान में पंजी–II के पेज नं0–12 मोलूम सं0–1 में लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो के नाम से ऑनलाईन दर्ज हो गया हैं। और इसी के आधार पर लगान रसीद भी निर्गत हो गया हैं। एवं पूर्व से खाता सं0–7 का रसीद खाता सं0–5 में मिलाकर कट रहा था एवं भूमि पर सभी हिस्सेदार का कब्जा था। ऑनलाईन खतियान लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो एक हिस्सा बाहिस्सा बराबर वो बाढु महतो वल्द बेनी महतो वो मसो0 मनवा जौजे धरम महतो एक हिस्सा बाहिस्सा बराबर वो दशरथ महतो वो जानकी महतो पेशरान प्रीतम महतो एक हिस्सा बाहिस्सा बराबर वो मटुक महतो वो हीरामन महतो वो हरलाल महतो पेशरान खेमचन्द महतो एक हिस्सा बाहिस्सा बराबर खतियान में ऑनलाईन गलती से चढ गया हैं। और पूर्व से ऑफलाईन पंजी–II में चढा हुआ था। लेकिन पूर्व में खाता सं0–7 का रसीद खाता सं0–5 में कटता आ रहा था। एवं लटु महतो वगैरह के वंशज जब ऑनलाईन में देखा की ऑनलाईन में चढा हुआ हैं तब रसीद भी कट गया हैं। इसी कारण सभी हिस्सेदारो को जमीन से रोक दिया गया हैं। और खतियान रैयत के वंशज को नोटिस देकर ऑनलाईन पंजी–II में खाता सं0–7 में सभी हिस्सेदारो को अग्रेतर कार्रवाई करने की अनुसंशा किया जा सकता हैं। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में की गई अनुसंशा के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस कर निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थित दर्ज कराते हुए अपना–अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया था। जिसमें प्रथम पक्ष के श्री टेकोचन्द महतो वगैरह की ओर से खतियान की प्रति एवं ऑफलाईन पंजी–II की प्रति प्रस्तुत कर बताया गया की मौजा–कल्हाबार, खाता सं0–7 की भूमि बेलगान हो गया था। जिसे मेरे पूर्वज के लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो के द्वारा लगान यदा कर भूमि को हासिल किया गया हैं। जिसके आधार पर उक्त खतियान के खाता सं0–7 की सभी प्लॉटों पर हमलोगो का अधिकार होने के साथ–साथ भूमि पर बने तालाब का उपयोग भी इन्ही के वंशजो यानी की हमलोगो के द्वारा ही किया जा रहा हैं। तथा तालाब से मछली मारने एवं बेचने का भी कार्य सिर्फ लटु महतो वगैरह के वंशजो के द्वारा ही किया जा रहा हैं। अन्य किसी भी हिस्सेदारो का पूर्व से इस भूमि पर कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा हैं, सिर्फ ओर सिर्फ लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो का दखल कब्जा रहा हैं। ऑफलाईन पंजी–II में भी रकबा–4.40 एकड़ भूमि का जमाबन्दी सिर्फ लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो के नाम से दर्ज हो कर लगान रसीद कटता आ रहा हैं। जिसक साक्ष्य के तोर पर खाता सं0–7 एवं खात सं0–5 के खतियान में मोकदमा नं0–37/1916 एवं मोकदमा सं0–$\frac{37}{85}$(2) के तहत जिक किया गया हैं। द्वितीय पक्ष के श्री कमल किशोर महतो वगैरह की ओर से खाता सं0–7 की खतियान के संबंध में बताया गया की प्रथम पक्ष द्वारा कही गई बाते गलत हैं। क्योंकि उक्त खतियान खाता सं0–7 में	

Scanned with OKEN Scanner

खतियान में लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो वो बाढु महतो वल्द बेनी महतो वो मसो0 मनवा जौजे धरम महतो वो दशरथ महतो वो जानकी महतो पेशरान प्रीतम महतो वो मटुक महतो वो हीरामन महतो वो हरलाल महतो पेशरान खेमचन्द महतो का नाम दर्ज हैं तथा सभी रैयतो के नाम के अनुसार भूमि पर बाहिरसा बराबर का हिरसा भी खतियान में किया गया हैं। जिसके आधार पर सभी हिरसेदारो का हक अधिकार के आधार पर भूमि पर पूर्व से ही दखल कब्जा भी बना हुआ हैं तथा तालाब में भी सभी रैयतो के वंशजो का बराबर अधिकार हैं। जिसके आधार पर हमलोगो का भी तालब में उतना ही अधिकार हैं। जितना की प्रथम पक्ष का है। हमलोगो के द्वारा भी तालाब से मछली मारने का समान अधिकार के साथ–साथ मछली बेचने में भी योगदान रहा हैं। प्रथम पक्ष द्वारा जिस मोकदमा नं0–37/1916 एवं मोकदमा सं0–$\frac{37}{85}$(2) का हवाला देकर खाता सं0–7 की भूमि पर सिर्फ लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो का अधिकार बताते हैं उस मुकदमा संख्या की प्रति प्रस्तुत करें ताकि यह स्पष्ट हो सकेगा की भूमि पर किन–किन रैयतो का अधिकार हैं और उस मोकदमा में क्या लिखा गया हैं। सिर्फ खतियान में लिखे गये मोकदमा संख्या के आधार पर यह स्पष्ट कर देना की भूमि पर सिर्फ एक ही वंशज के रैयतो का अधिकार हैं यह बिलकुल ही गलत हैं। क्योंकि खाता सं0–7 में दर्ज सभी रैयतो का समान रूप से आपने–अपने हिस्से के अनुसार लटु महतो के पास राशि जमा कर लगान रसीद कटावाने का कार्य किया जाता रहा हैं। परन्तु न जाने क्यों पंजी–II में सिर्फ एक ही वंशज के रैयतो का नाम दर्ज हैं जबकी खतियान के आधार पर लगान रसीद लटु महतो वगैरह के नाम से कटता आ रहा हैं। जिससे यह पता नहीं चल सका की पंजी–II में खतियान के एक ही वंशज के रैयतो का नाम दर्ज हैं। जब ऑनलाईन में देखने से पता चला तब हमलोगो द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन कर कार्रवाई किये जाने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

उपरोक्त मामले के संबंध में उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत कागजातो एवं व्यानों के आधार पर साक्ष्यता की जाँच हेतु मोकदमा नं0–37/1916 एवं मोकदमा सं0–$\frac{37}{85}$(2) की प्रति का माँग किया गया। जिसमें उभय पक्षों में से किसी भी पक्ष प्रथम वो द्वितीय के द्वारा उक्त मोकदमा से संबंधत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह निर्णय हो सके की प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष द्वारा कही गई बातो के संबंध में सत्यता क्या हैं।

——आदेश——

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा खाता सं0–7 के खतियान में दर्ज सभी रैयतो के नाम (लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो वो बाढु महतो वल्द बेनी महतो वो मसो0 मनवा जौजे धरम महतो वो दशरथ महतो वो जानकी महतो पेशरान प्रीतम महतो वो मटुक महतो वो हीरामन महतो वो हरलाल महतो पेशरान खेमचन्द महतो) के आधार पर भूमि पर अपना दावा पेश करते हैं तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा खाता सं0–7 एवं खाता सं0–5 पर दर्ज मोकदमा नं0–37/1916 एवं मोकदमा सं0–$\frac{37}{85}$(2) के तहत यदा किये जा रहे लगान रसीद के अधार पर सिर्फ (लटु महतो वो तारो महतो वो भुपत महतो वो ठाकुर महतो पेशरान अनुप महतो) का होने का दावा पेश करते हैं। उभय पक्षो द्वारा मामले के संबंध में भूमि संबंधी साक्ष्य Doucument प्रस्तुत नहीं किये जाने के करण किसी भी प्रकार का कोई पहल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। क्योंकि उभय पक्षो द्वारा एक ही भूमि पर अलग–अलग दस्तावेजो के आधार पर अपना–अपना दावा पेश करने से यह मामला स्वत्व वाद से प्रतीत होता हैं। ऐसे में उभय पक्ष चाहे तो मामला को सक्षम न्यायालय में दर्ज करा कर मामले का निष्पादन करा सकते हैं। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही बंद किया जाता हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

04.04.25

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

04.04.25

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by Shashi Bhushan Verma
Date: 2025.07.14 14:47:43 +05:30
Location: 192.168.73.188

Scanned with OKEN Scanner